

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 750
जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है
सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

750. श्री अमरा रामः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के मानदंड क्या हैं;
(ख) कोटपूतली-सीकर-खुड़-लोसल-नागौर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित न करने के क्या कारण हैं;
और
(ग) क्या सरकार ने उक्त सड़क के लिए पहले ही सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

- i. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/ राज्य की परस्पर राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।
- ii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व वाली सड़कें।
- iii. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।
- iv. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भूभागों से जुड़ने में मदद करती हैं।
- v. 100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।

vi. प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ अनुरूप सङ्केत।

(ख) और (ग) सरकार को समय-समय पर राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य की सङ्कों, जिनमें राज्य राजमार्ग और सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृत सङ्केत शामिल हैं, को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के व्यापक सिद्धांतों, संरक्षकता की आवश्यकता, यातायात घनत्व, परस्पर प्राथमिकता और प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

राजस्थान राज्य में कोटपूतली-सीकर-खुड़-लोसल-नागौर सङ्क के उदयपुरवाटी-सीकर-खुड़-लोसल-नागौर खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था। वर्तमान में, राजस्थान राज्य में कोटपूतली-सीकर-खुड़-लोसल-नागौर सङ्क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।
